न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील भरण पोषण संख्या 08/2025 (GCMS 2025/240)

निर्मला देवी पत्नी श्री मंगतू राम जाति जाट निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

— **अपीलांटस**

बनाम

मंगतूराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

— **रेस्पोडेंटस**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी निर्मला देवी एवं रेस्पोडेंट मंगतू राम उपस्थित हुए। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को सुना गया।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 42 पीटीपी के खाता संख्या 34/31 प.न. 49/165 मु.न. 39 कि.न. 4, 8 ता 13 18 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2 कुल खाता 16 किता में 3.289 है० आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से मौका पर 0.885 है० आराजी एवं चक 34 एम जे डी के खाता संख्या 69/60 में 1.442 है० आराजी दर्ज कागजात माल है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 आपस में पति पत्नी है एवं प्रार्थी एक वृद्ध व्यक्ति है एवं शादी के बाद से प्रार्थी अपनी पत्नी एवं अपने बच्चो के साथ गांव मन्नीवाली में रह रहा था एवं प्रार्थी की पत्नी प्रार्थी का खूब अच्छे से ध्यान रखती जिस कारण प्रार्थी अपनी पत्नी से खूब स्नेह एवं उस पर पूर्ण विश्वास करता था।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने चक 42 पीटीपी के खाता संख्या 34/31 में 0.885 है० आराजी एवं चक 34 एम जे डी के खाता संख्या 69/60 की 1.442 है० को दान पत्र पत्नी के नाम से दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

11.05.2020 को तहरीर एवं तस्दीक करवा दिया था। क्योंकि उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रतिफल देय नहीं होता। चूंकि प्रार्थी वृद्ध व्यक्ति है इस कारण प्रार्थी अपनी देखभाल करने में असमर्थ है एवं अप्रार्थी ने प्रार्थी को धोखा में रखकर उक्त आराजी का उपहार पत्र अपने नाम से निष्पादित करवायें है इस कारण दिनांक 11.05.2020 को किये गये उपहार पत्र प्रार्थी के हक व हितो पर शुरू से ही प्रभाव शुन्य है, इस कारण प्रार्थी मौका पर अप्रार्थी के नाम से दर्ज आराजी की खातेदारी घोषणा अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का कानूनन हकदार एवं अधिकारी है। उक्त उपहार पत्र प्रार्थी को धोखा में रखकर करवाया है इस कारण उक्त उपहार पत्र शुरू से ही नॅल एण्ड वॉइड है।

उनका आगे यह भी कथन है कि चक 42 पीटीपी के खाता संख्या 34/31 प.न. 49/165 मु.न. 39 कि.न. 4, 8 ता 13 18 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2 कुल खाता 16 किता में 3.289 है० आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से मौका पर 0.885 है० आराजी एवं चक 34 एम जे डी के खाता संख्या 69/60 में दर्ज 1.442 है० आराजी प्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2025 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 को स्वीकार कर अप्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 11.05.2020 को चक 42 पीटीपी के खाता संख्या 34/31 में 0.885 है. आराजी [illegible] 34 एमजेडी के खाता संख्या 69/60 की 1.442 है. [illegible] कर, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली व विधि न्याय के सिद्धांत के विपरीत पारित किये है, इस अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:23 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आलोच्य आदेश में दस्तावेज दान पत्र को निरस्त किया गया है, उक्त दान पत्र जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है, जिसे निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है, बल्कि सिविल न्यायालयों को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, ऐसी सूरत में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट आपस में पति–पत्नी है और रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत पेश किया गया है, जबकि उक्त अधिनियम केवल. मात्र माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम हेतु ही अवलम्ब लिया जा सकता है और पति–पत्नी की स्थिति में उक्त अधिनियम का अवलम्ब नहीं लिया जा सकता, ऐसी स्थिति में भी अधिनस्थ न्यायलाय का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि रेस्पोडेंट नशा पता एवं गलत व्यसनों का आदि है, जिसके चलते भी रेस्पोडेंट ने 3 बीघा कृषि भूमि का बेचान कर दिया एवं शेष कृषि भूमि के सम्बंध के सम्बंध में भी इकरारनामा करवा रखा था, जिस सम्बंध में भी एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 420 आई०पी०सी० की जैरकार है एवं अन्य प्रकरण जो कि सुखविन्द्र सिंह द्वारा रेस्पोडेंट मंगतू राम के विरूद्ध दर्ज करवाया गया था, में अपीलांट निर्मला देवी ने राशि देकर राजीनामा कर निपटारा ... उक्त राजीनामा के आधार पर उक्त प्रकरण में एफ०आर० ... सादुलशहर में पेश हुई। इस प्रकार से कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए ही उक्त दान पत्र निष्पादित किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलांट द्वारा कभी भी रेस्पोडेंट को घर से नहीं निकाला, जबकि रेस्पोडेंट स्वयं ही बिना किसी उचित कारण के अपीलांट का परित्याग कर रखा है और आज भी अपीलांट, रेस्पोडेंट के साथ बसने के लिए तैयार है। अपीलांट व रेस्पोडेंट पति–पत्नी है एवं **पति–पत्नी के मध्य भरण–पोषण हेतु अन्तर्गत धारा 125 सी०आर०पी०सी० में ही प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत ही भरण–पोषण हेतु मांग की जा सकती है, जो कि रेस्पोडेंट द्वारा माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर में पेश किया हुआ** है, इसलिए भी उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 मात्र माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत लागू नहीं होता है। इसलिए अपीलार्थी ने अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2025 को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट आपस में पति पत्नी है एवं रेस्पोडेंट की पत्नी, उसका का खूब अच्छे से ध्यान रखती थी। रेस्पोडेंट को वृद्धावस्था का हवाला देकर अपीलार्थी एवं उसके भाई ने मिलीभगत से उसके नाम भूमि चक 42 पीटीपी के खाता संख्या 34/31 में 0.885 है. आराजी को चक 34 एमजेडी के खाता संख्या 69/60 की 1.442 है. का दान पत्र अपनी पत्नी के नाम से दिनांक 11.05.2020 को तहरीर एवं तस्दीक करवा दिया।

उनका आगे यह भी कथन है कि दानपत्र करवाते समय दिनांक 11.05.2020 को अपीलांट निर्मला ने इस आशय का शपथ पत्र दिया की उक्त जमीन परिवार की सहमति के बगैर आगे बेचान नहीं करेगी तथा अपने पति जिसकी उम्र 60 वर्ष है जब तक जीवित है, उसका भरणपोषण करेगी।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलांट ने अपने भाई के साथ मिलकर उसको (रेस्पोडेंट) को घर से निकाल दिया है। दान के संलग्न शपथ पत्र अनुसार उसका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दान पर निरस्त किया है, जो सही है। अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:23 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

बहस में समर्थन में **रेस्पोडेंट माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.01.2025 उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरन दीक्षित एवं माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 5 मई 2016 राजेश कुमार बंसराज गांधी बनाम गुजरात की नजीरे पेश की है।**

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 21, 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण में निवेदन किया था कि चक 42 पीटीपी के खाता संख्या 34/31 पं.नं. 49/165 मु.नं. 39 कि.नं. 4, 8 ता 13, 18 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2 कुल खाता 16 किता में 3.289 है. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 (निर्मला) के नाम से मौका पर 0.885 है. आराजी एवं चक 34 एमजेडी के खाता संख्या 69/60 में दर्ज 1.442 है. आराजी प्रार्थी मंगतू राम के नाम दर्ज किये जाने की प्रार्थना करने पर, उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने दिनांक 12.05.2025 को निर्णय पारित कर निम्न आदेश दिया गया था:

> **प्रार्थना पत्र प्रार्थी माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के अंतर्गत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 11.05.2020 को चक 42 पीटीपी के खाता संख्या 34/31 में 0.885 है. आराजी व चक 34 एमजेडी के खाता संख्या 69/60 की 1.442 है. के दान पत्र को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, सादुलशहर को पालनार्थ पत्र जारी है।**

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के उक्त निर्णय दिनांक 12.05.2025 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है और किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग नहीं की है।

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:23 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत पति, अपनी पत्नि से भरण पोषण अथवा सम्पत्ति विवाद की मांग कर सकता है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है :

4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–

(1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–

(i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।

(ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसी सम्पति का उत्तराधिकार में प्राप्त करेगाः

परन्तु जहाँ एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उत्तराधिकार में प्राप्त के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उत्तराधिकार में प्राप्त करेंगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:39:23 IST
Reason: Self Attested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माता–पिता अपनी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में धारा 9(2) के अनुसार 10,000/– तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है। **किन्तु विचाराधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने पति–पत्नी के सम्पत्ति के आपसी विवाद को माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत अनुतोष दिया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश दिया गया है। रेस्पोडेंट, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत अपनी पत्नी से किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है।** इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2025 को जारी किया गया आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2020 को चक 42 पीटीपी के खाता संख्या 34/31 में 0.885 है. आराजी व चक 34 एमजेडी के खाता संख्या 69/60 की 1.4432 है. के दान पत्र को निरस्त किये गये आदेश को खारिज किया जाता है और उक्त सम्पत्ति पुनः अपीलार्थी निर्मला देवी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। अपीलार्थी और रेस्पोडेंट में सम्पत्ति का कोई आपसी विवाद हो तो वे सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने के स्वतन्त्र है। **अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब दाखिल दफतर हो।**

यह आदेश आज दिनांक 17.06.2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:39:23 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट,
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर